1. प्रदीप कुमार पुत्र उमरावसिंह, निवासी मकान नंबर टी 84, गली नम्बर 2, मुसदी धर्मशाला के पास, इन्द्रा कॉलोनी, नरेला, उत्तरी पश्चिम दिल्ली।
2. पवन कुमार गर्ग पुत्र हनुमंतराय, निवासी हाउस नंबर 2136/ए नई बस्ती, नजदीक 6 शहीद पार्क, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली।
3. सतीश कुमार गर्ग पुत्र हनुमंतराय, निवासी हाउस नंबर टी-207, गली नंबर 3, शिवाजी नगर, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपर लोक अभियोजक, नागौर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थीगण की ओर से - श्री बाबूलाल भादू, श्री राजेन्द्र विश्नोई व श्री गजेन्द्र मिश्र, अधिवक्तागण
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, अपर लोक अभियोजक

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	545/31.08.2022
Police Station, District and State	कोतवाली, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	406, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860
Maximum punishment prescribed	सात वर्ष का कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	Nill
Total period of custody undergone	Nill

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:- Nill

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 10.06.2026

1. प्रार्थीगण प्रदीप कुमार वगैरह की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 545/2022, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. केस डायरी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.08.2022 को परिवादी गुलाबचंद ने पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी फर्म प्रोपराईटर मैसर्स हरिराम बाबूलाल देवड़ा एफ-6 कृषि उपज मण्डी, नागौर में है, जिससे अनाज क्रय-विक्रय का व्यापार किया जाता है। दिनांक 18.06.2022 व दिनांक 27.06.2022 को रामलाल ने इमरान खान, अनिरुद्ध यादव, अखिलेश अग्रवाल के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए परिवादी को सदोष हानि व अपने को सदोष लाभ पहुंचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से रामलाल ने अपनी जान-पहचान व विश्वास होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसको 256 बैग कुल 12,800 किलोग्राम सरसों का माल भेजने का ऑर्डर देकर नागौर से माल रवाना करवा कर अन्य फर्म मुरली ट्रेडिंग कम्पनी, जिसके पार्टनर सतीश, प्रदीप, पवन है, से माल खाली करवा लिया व अब भुगतान करने से इंकार कर रहे हैं। रामलाल, अखिलेश अग्रवाल, अनिरुद्ध यादव, इमरान खान, सतीश, प्रदीप व पवन सभी ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी कर षड्यंत्रपूर्वक योजना बनाकर 9,25,835.63 रुपए का माल हड़प कर लिया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर ने मुकदमा संख्या 545/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण को गिरफ्तार किए जाने की आशंका होने पर प्रार्थीगण ने यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पुरानी विधि धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार करने की आशंका उत्पन्न हो गई है।। प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। प्रार्थीगण व परिवादी के बीच किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई थी एवं न ही एक-दूसरे को आपस में जानते पहचानते हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को केवल सहअभियुक्त के नाम लेने से मुलजिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपित आरोप आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण के फरार होने का अंदेशा नहीं है एवं न ही गवाहान को बहकाने या डराने-धमकाने का कोई आरोप है। प्रार्थीगण अनुसंधान में पुलिस की हर प्रकार से सहायता व सहयोग को तैयार व तत्पर है। अन्त में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को गिरफ्तारी की सूरत में तुरन्त जमानत मुचलकों पर रिहा करने के आदेश बाबत् निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस में तर्क दिया है कि प्रकरण के अनुसंधान से प्रार्थीगण प्रदीप, पवन एवं सतीश का घटना में वाका शरीक होना नहीं पाया गया है। अतः न्यायालय यथोचित आदेश पारित करे।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं संपूर्ण केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अनुसंधान अधिकारी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह जाहिर किया है कि प्रकरण के अनुसंधान से प्रार्थीगण प्रदीप, पवन एवं सतीश का घटना में वाका शरीक होना नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

7. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना ही प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

8. परिणामतः प्रार्थीगण 1. **प्रदीप कुमार** पुत्र उमरावसिंह, निवासी मकान नंबर टी 84, गली नम्बर 2, मुसदी धर्मशाला के पास, इन्द्रा कॉलोनी, नरेला, उत्तरी पश्चिम दिल्ली 2. **पवन कुमार गर्ग** पुत्र हनुमंतराय, निवासी हाउस नंबर 2136/ए नई बस्ती, नजदीक 6 शहीद पार्क, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली व 3. **सतीश कुमार गर्ग** पुत्र हनुमंतराय, निवासी हाउस नंबर टी-207, गली नंबर 3, शिवाजी नगर, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण प्रदीप कुमार, पवन कुमार गर्ग व सतीश कुमार गर्ग को इस प्रकरण में गिरफ्तार करने की दशा में प्रार्थीगण द्वारा 1,00,000- 1,00,000 रुपए की दो मौतबीर जमानतें व 2,00,000 रुपए का स्वयं का मुचलका निम्नांकित शर्तों सहित प्रभारी थानाधिकारी के समक्ष प्रभारी थानाधिकारी के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक कराने की दशा में जमानत पर छोड़ दिया जावेंः-

    1. प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करेगा।
    2. प्रार्थी गवाहान को डरायेगा/धमकायेगा नहीं तथा किसी भी प्रकार से गवाहान व साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
    3. प्रार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
    4. प्रार्थी जमानत पर रहने के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

9. आदेश की एक प्रति प्रभारी थानाधिकारी को प्रेषित की जावें व केस डायरी लौटायी जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर

10. आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर